न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/105/2023	2023/457	26.07.2023	20.11.2024

—उनवान—

1. सरकार जरिये उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पौ0सं0), कार्यालय उपनिदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद, अलवर जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. सैय्यद फारूक पुत्र श्री रमजानी निवासी नियर नूहरानी मस्जिद बेलगांव, बाजार ताल्लुका सिलोड जिला औरंगाबाद (महाराष्ट्र)।
2. कायुम पटेल पुत्र श्री रशीद पटेल निवासी देवलगांव बाजार, तालूका सिलोड जिला जिला औरंगाबाद (महाराष्ट्र)।
3. लुकमान खान पुत्र श्री फतेह मोहम्मद निवासी ग्राम गोठडा तह0 लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 6—ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः—
01.श्री बबलेश कुमार, कृषि अधिकारी —विभागीय प्रतिनिधि

—::निर्णय::—

प्रार्थी ने यह 6ए प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 31.01.2022 को प्रातः 11.30 बजे पुलिस थाना एन.ई.बी थाना, अलवर से इस कार्यालय के पत्रांक 13562 दिनांक 31.01.2022 की अनुपालना में दो पुलिस सिपाईयों की इमदात लेकर कृषक श्री हरीनारायण मीणा पुत्र श्री बद्रीनारायण मीणा निवासी बसवा तह० बसवा जिला दौसा को बोगस ग्राहक बनाकर सम्बंधित विक्रेताओं से दूरभाष पर वार्ता करने के उपरान्त झन्कार होटल (हनुमान सर्किल के पास. अलवर) भेजा गया। उक्त कृषक द्वारा मॉल—भाव करने के उपरान्त गाडी नम्बर एम.एच. 28 ए.एन. 1717 की डिग्गी में रखी बोरियो में से खुला बीज तोलने लगे। उसी समय पुलिस सिपाई शशीकान्त एवं होमगार्ड नवीन के साथ श्री बालमुकुन्द शर्मा सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) अलवर एवं मैं. स्वयं पहुँचकर पुलिस की सहायता से उक्त वाहन को पुलिस थाना एन.ई.बी लाकर खडा करवाया गया। वाहन की डिग्गी को खुलवाया गया, जिसमें एक कांटा (3 चाबी छाप), बिल बुक (101 से 150 तक) एवं बोरियो में रखा हुआ बीज मिला। उक्त माल की जब्ती की कार्यवाही करते हुए सीजर नोट एवं मौका पर्चा तैयार कर उक्त बीज का एक नमूना आहरण किया गया। जिसका कोड (BBK/S/2021-22/01) दिया गया। जब्त बिल बुक में बिल नम्बर 101 फजरू खान निवासी साहडोली, अलवर मोबाईल नम्बर 9351455891 के नाम से नासिक लाल किस्म की मात्रा 15 किग्रा दर 800/—रू० किग्रा काटा हुआ था। श्री सैय्यद फारूक पुत्र श्री रमजानी निवासी नियर नूहरानी मज्जीद देवलगांव बाजार तालूका सिलोड जिला औरंगाबाद के साथ कायुम पटैले पुत्र श्री रशीद पटेल निवासी देवलगांव बाजार तालूका सिलोड जिला औरंगाबाद एवं स्थानीय निवासी लुकमान खान पुत्र श्री फतेह मोहम्मद गांव गोठडा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर से पूछताछ करने पर बताया कि इस खुले प्याज बीज को किसानो को बेचा जाता है। उक्त आरोपियों द्वारा बेचे जा रहे प्याज बीज की किस्म एवं अन्य गुणवत्ता की मानक निर्धारित नहीं है। जिसको कारण कृषकों द्वारा इस बीज को बोने पर आर्थिक नुकसान हो सकता है। इस कारण उक्त आरोपियों के खिलाफ बीज नियंत्रण आदेश 1983 के क्लॉज 3 एवं 8 (अ). आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं आईपीसी की धारा 420 के तहत पुलिस थाना एन.ई. बी, अलवर में एफआईआर दर्ज करवाई गई। उक्त जब्तशुदा प्याज बीज की मात्रा 90 किग्रा को कार्यालय के भण्डारपाल शाखा में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद ली गई एवं रसीद बुक और कांटा पुलिस को अनुसंधान

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

हेतु दिया गया। अतः उक्त प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत जप्त प्याज बीज को परीक्षण में अमानक पाये जाने पर राजसात करने एवं निस्तारण की कार्यवाही करने का आदेश फरमावें।

अप्रार्थी ने न्यायालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम में लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया कि नोटिस कार्यवाही श्रीमान द्वारा बबलेश कुमार कृषि अधिकारी उपनिदेशक कृषि (विस्तार) की रिर्पोट पर जारी किया गया है। रिर्पोट खिलाफ कानून, खिलाफ वाकेयात है और अधिकारों का दुरूपयोग कर, कानून का दुरूपयोग कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई है जिस पर श्रीमान गौर करेंगें तो कार्यवाही ड्रोप करने के काबिल है और वाहन वगैरा जिसके अधिग्रहण की कार्यवाही का नोटिस दिया गया है वो सम्पत्ति कार्यवाही ड्रोप की जाकर सुपुर्द मिन अप्रार्थी को दिये जाने का निवेदन है जिसका आधार निम्न है। कार्यवाही बीज नियन्त्रण आदेश क्लॉज 3 एवं 8 अ के तहत पेश किये जाना अंकित किया गया है। इस प्रकरण में कृषि अधिकारी द्वारा संज्ञेय अपराध में प्रथम सूचना रिर्पोट अपने अधिकारों का दुरूपयोग कर दर्ज करवाई गई है जबकि किसी प्रकार का कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है ना ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध बनता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधान के लिए जो प्रक्रिया बीज साबित करने के लिए कृषि अधिकारी को अपनानी थी वो नही अपनाई गई और अपने अधिकार क्षेत्र का दुरूपयोग किया गया है। बीज अधिनियम के प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है और बीज अधिनियम के आदेश का उल्लघंन ही नहीं मान रहे है तो बीज नियंत्रण आदेश जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आता है लागू नहीं होता है। प्रथम सूचना रिर्पोट संख्या 82/2022 थाना एन. ई. बी. मं दर्ज कराई गई है वो धारा 420 ता०हि० व 3/7 आवश्यक अधिनियम में दर्ज कराई गई है जबकि कानून दौनों अपराध ही नही बनते हैं। कृषि अधिकारी को मात्र असंज्ञेय अपराध बीज अधिनियम का होने पर सिर्फ सक्षम न्यायालय में प्रतिवाद ही पेश करने का अधिकार है। प्रथम सूचना रिर्पोट के अनुसार किसी प्रकार का सैम्पले ड्रा नहीं किया गया है। जबकि कानून के प्रावधान बीज अधिनियम व बीज नियंत्रण अधिनियम में फूड इंस्पेक्टर को जो कानूनी प्रक्रिया अपनाने के लिए व्यवस्था करती है वो प्रक्रिया फूड इंस्पेक्टर के द्वारा कानून के मुताविक नहीं की गई है और जब तक जांच रिर्पोट से नतीजा नहीं आता है कि क्या वस्तु है प्रमाणित न्यायालय में नहीं हो सकता जिसके लिए सैम्पल ड्रा किया जाना विधि अनुसार जरूरी है और इस प्रकार का इंस्पेक्टर द्वारा कार्य नही किया गया है, बीज नियंन्त्रण आदेश में भी सैम्पल ड्रा की जाने की व्यवस्था की गई है जिसे फूड स्पेक्टर मनमाने रूप से अपना निर्णय नही ले सकता उसे सैम्पल लेना ही पेडगा किन्तु फूड स्पेक्टर ने ऐसा नही किया है एवं सैम्पल लेने पर भी निश्चित अवधि में जनविशलेषक रिर्पोट भी लेने का आज्ञापक प्रावधान है परन्तु फूड इंस्पेक्टर ने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर श्रीमान के यहा गलत रिर्पोट पर कार्यवाही कराने की प्रक्रिया की है जो ड्रोप होने के काबिल है। वाहन खडा खडा खराब हो जावेगा, किसी प्रकार का कोई अपराध नही किया है और वाहन की मिन अप्रार्थी को आवश्यकता है जिसके लिए श्रीमान जो भी मुनासिब आदेश देगें उसकी पालना करने को अप्रार्थी तैयार है। कार्यवाही के दौरान निस्तारण होने तक श्रीमान के यहा मौतवीर जमानत पेश करने के आदेश पारित करते है तो उसके मुताविक भी जमानत प्रस्तुत करने को तैयार है और इस प्रकार वाहन सौपे जाने पर जो श्रीमान शर्त लगायेगें उनकी पालना करने को तैयार है। प्रार्थी वाहन का रजिस्टेड स्वामी है। अतः जवाब/अभ्यावेदन पेश कर निवेदन है कि कार्यवाही प्रार्थना पत्र संख्या 15.20.2022 सरकार बनाम सैयद फारूख वगैरा को ड्रोप फरमाई जाकर अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त की जावे।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अध्ययन व अवलोकन किया। प्रार्थी के अनुसार अप्रार्थी द्वारा प्याज बीज का बेचान किसानो को गांवो में जाकर किया जाना बताया गया है। उक्त जब्तशुदा प्याज बीज की मात्रा 90 किग्रा वक्त जांच पाया गया है। निरीक्षक बीज/कीटनाशी/उवर्रक, बबलेश कुमार द्वारा उक्त जब्त बीज के नमूने आहरित कर जांच करवाई गई जिसमें उक्त जब्त प्याज बीज अमानक पाया गया है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त जब्त प्याज बीज का अवैध रूप से भण्डारण एवं बेचान किया जा रहा था। उक्त कृत्य बीज नियंत्रण आदेश 1983 के क्लॉज 3 एवं 8 (अ), आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, जब्तशुदा प्याज बीज की मात्रा 90 किग्रा को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

पारित आदेश की प्रमाणित प्रति कृषि अधिकारी (पौ0सं0), कार्यालय उपनिदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद, अलवर जिला अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा प्याज बीज की मात्रा 90 किग्रा, विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम),
अलवर (राजस्थान)